छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 10–1/2002/1/5 नया रायपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ0ग0 बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़।

विषयः– भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन ।

———000———

कृपया विषयांतर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या 15/3/2015–पब्लिक, दिनांक 16.01.2015 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करें । प्राप्त पत्र में विभिन्न शासकीय वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किये जाने के संबंध में गृह मंत्रालय को प्राप्त शिकायतें के संबंध में अवगत कराया गया है ।

2/ गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग/प्रदर्शन/ध्वजारोहण को भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में उल्लेख अनुसार शासन के समस्त वेबसाईट एवं उससे संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के समुचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम एवं संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश प्राप्त हुये है ।

3/ अतः निवेदन है कि शासन के समस्त वेबसाईट एवं शासन से संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों एवं आपके विभागों की वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के समुचित प्रदर्शन उपर्युक्त अधिनियम एवं संहिता में किये गये प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार ।

सुरेन्द्र कुमार
9/2/2015
(सुरेन्द्र कुमार जायसवाल)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः.....2

कार्यालय नगर पालिक निगम
आवक क्र. 10079
दिनांक 20/2/15
कोरबा (छ.ग.)

पृ. कमांक एफ 10–1/2002/1/5 नया रायपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2015

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नया रायपुर
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग राज्य सूचना आयोग/विद्युत नियामक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग/युवा आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/गो–सेवा आयोग, रायपुर (छ.ग.)
9. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ रायपुर
11. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर.
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, (स्थापना/अधीक्षण) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर
14. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण, मंत्रालय, नया रायपुर
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डेटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ राज्य शासन की वेबसाईट (cgstate.gov.in) में राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन सुनिश्चित करने एवं जारी निर्देश को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (छ.ग.) मंत्रालय, नया रायपुर । कृपया आपके एवं आपसे संबद्ध कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईड में तत्काल राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन को सुनिश्चित करें ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सुरेन्द्र कुमार
9/2/2015

विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

No. 15/3/2015-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section

No. 429 RS/2015/GQ
Date 30 JAN 2015

512

जावक क्रमांक ....766.....
वि.स./2014 सा.प्र.वि.
दिनांक....31/01/2015

छत्तीसगढ़ शासन
सा.प्र.वि. कक्ष-5
पंजी क्र. 387
दिनांक 02.02.15

North Block, New Delhi-1
Dated the 16 January, 2015

19 JAN 2015

To

The Chief Secretaries / Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries / Departments of Govt. of India.

Subject:- Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971- regarding.

- - -

Sir/Madam,

I am directed to say that a number of complaints are received by this Ministry about the non-proper display of the Indian National Flag on various official websites.

2. The use/display/hoisting of the National Flag is regulated by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.nic.in.

3. You are, therefore, requested to ensure that the display of the Indian National Flag placed on your website, as well as the websites of your attached and subordinate offices are strictly according to the abovesaid Act and Code.

Hindi versions will follow.

Yours faithfully,

30 JAN 2015
SS, GAD (J.)
PS. I.T.

(Shyamala Mohan)
Director to the Government of India
Tel. No. 2309 2587

Copy to:-

1. Cabinet Secretariat, New Delhi.
2. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
3. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
4. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
5. Election Commission of India, New Delhi.
6. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
7. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
9. Delhi High Court, New Delhi.
10. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
11. The Union Public Service Commission, New Delhi.
12. Central Vigilance Commission, New Delhi.
13. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
14. All Attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
15. 20 Spare Copies.

513

संख्या 15/3/2015-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 16 जनवरी, 2015

19 JAN 2015

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न सरकारी वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किये जाने के संबंध में इस मंत्रालय में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2. राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग/प्रदर्शन/ध्वजारोहण को भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971, द्वारा विनियमित किया जाता है। जो इस मत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध है।

3. अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने वेबसाइट एवं अपने संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के समुचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम एवं संहिता का कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीया,

श्यामला

(श्यामला मोहन)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 2587

प्रति प्रेषित:-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
13. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
14. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
15. 20 अतिरिक्त प्रतियां ।